INDIAN STREAMS RESEARCH JOURNAL
ISSN NO : 2230-7850
IMPACT FACTOR : 5.1651 (UIF)
VOLUME - 15 | ISSUE - 3 | APRIL – 2025

अधीनस्थ परिपेक्ष्य के संदर्भ में हरियाणा की विमुक्त व घुमंतू जातियों की सामाजिक स्थिति का विश्लेषण

डॉ. रिंकल
सहायक प्रोफ़ेसर, डॉ बी आर अम्बेडकर लॉं कालेज, कुरुक्षेत्र.

भूमिका:

अनेकता में एकता ही भारतीय संस्कृति हैं। भारत में अनेक धर्मो, पंथों, जातियों व संप्रदायों के लोग रहते हैं। भारत वर्ष में जनजातियों का जो स्वरूप हैं वो विश्व के अन्य किसी देश में देखने को नहीं मिलता। यहां की जनजातियाँ विभिन्न क्षेत्रों में रहते हुए अपनी संस्कृति के माध्यम से भारतीय संस्कृति को एक विशिष्ट संस्कृति का रूप देने में योगदान कर रही हैं। जनजातीय समाज हमारी प्राचीन व्यवस्था का एक अभिन्न अंग रहा हैं लेकिन इस समाज के लोग परिवर्तन की तीव्र गति में ये पिछड़ते जा रहे हैं। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या 84,326,240 हैं जो की भारत की कुल आबादी का 8.2% हैं।

जनजातियों में एक बहुत बड़ा वर्ग उन जनजातियों का हैं जिन्हें भारत सरकार विमुक्त जाति व घुमंतू जाति के नाम से अधिसूचित कर चुकी हैं। राज्य सरकारों ने इन जतियों को अपने आधार पर अलग-अलग श्रेणियों में रखा हैं कुछ को अनुसूचित जाति, कुछ को अनुसूचित जनजाति व कुछ को पिछड़ी जाति में डाला गया हैं। हरियाणा सरकार ने भी केंद्र सरकार की तर्ज पर 11 (ग्यारह) जातियों को विमुक्त जाति, 20 (बीस) जातियों को घुमंतू जाति व 13 (तेरह) जातियों को टपरीवास जाति अधिसूचित किया है। इनमें से कुछ समूह या जातियों को उनकी आपराधिक प्रवृति के कारण पहचाना जाता था इसलिए उनको अपराधिक कबीले के नाम से भी बुलाते थे। आरंभ से ही ये जनजातियाँ सरकार व लोगों द्वारा शक की दृष्टि से देखी गई हैं। इन जनजातियों का अध्ययन इसलिए आवश्यक हैं क्योंकि ये समाज का एक अहम अंग हैं। इन जनजातियों के लोग बहुत गरीब हैं, इनमें शिक्षा का अभाव हैं जिस कारण ये अपने आप को बहुत ज्यादा उत्पीड़ित समझते हैं।

भारतीय सामाजिक क्षेत्र में महात्मा गाँधी जी ने हाशिए पर पड़े समुदाय को संबोधित करने के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया ताकि समाज इन समुदायों को अधिक सम्मानजनक और गरिमापूर्ण तरीके से देखने लगे। उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए 1932 में हरिजन सेवक संघ की भी स्थापना की। इसके अतिरिक्त, गांधीजी ने उनके अधिकारों की वकालत करने और सामाजिक अन्याय के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए "हरिजन" (और बाद में गुजराती में "हरिजन बंधु" और हिंदी में "हरिजन सेवक") नामक एक समाचार पत्र शुरू किया। गाँधी जी का मानना था कि अस्पृश्यता एक गंभीर सामाजिक बुराई है और उन्होंने हरिजन सेवक संघ तथा समाचार पत्र सहित अपने विभिन्न अभियानों के माध्यम से इसे समाप्त करने के लिए अथक प्रयास किया।

भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के अनेकवाद और अनुसूचित जातियों में सुधार की चर्चा सन 1920 में बड़े ज़ोर शोर से थी। उनका विश्वास था कि जब तक दलित स्वयं उठकर अपनी स्थिति पर विचार नहीं करते, तब तक दलितों का कोई सुधार नहीं हो सकता। जाति प्रभुत्व के भारतीय समाज में उन्होंने दमन और शोषण कि व्याख्या की। अम्बेडकर के अधीनस्थ समूह परिप्रेक्ष्य ने उन सारी व्यवस्थाओं को देखा था जो शास्त्रों से पैदा हुई थीं। अपनी पुस्तक 'एनहिलेशन आफ कास्ट' में उन्होंने लिखा था कि ये शास्त्र हिन्दू धर्म के

अंग नहीं थे बल्कि वे नियम सूची थे, जिनके आधार पर नीची जातियों के मूलभूत जीवन की आवश्यकताओं को नकार दिया गया था और समाज में उन्हें समान प्रस्थिति से वंचित रखा गया था।

अम्बेडकर ने पुरातन आदिवासियों और आपराधिक आदिवासियों की चर्चा भी की। उनकी मान्यता के अनुसार ये सब लोग सभ्यता से बाहर गिने जाते थे और उनको इस स्थिति तक पहुंचाने के लिए हिन्दू धर्म ही जिम्मेदार हैं। लेकिन अंबेडकर ने आदिवासी संस्कृति को बहुत अधिक नहीं छुआ। वंचना के प्रश्न को उन्होंने अवश्य माना की दोनों ही प्रकार के समूह लगभग एक जैसे हैं।

अध्ययन का महत्व

इस विषय का चयन, शोध की दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इन जातियों की स्थिति बहुत दयनीय हैं और इन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ भी अच्छी प्रकार से नहीं मिल सका हैं। इनमें शिक्षा का अभाव है तथा वर्तमान आधुनिकरण के युग में इनके पुराने व्यवसाय बंद हो चुके हैं जिस कारण इनकी आर्थिक स्थिति दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। हालांकि सरकार ने इनके लिए बहुत सी योजनाए चलाई हैं लेकिन इस समाज के लोगों को इसका न के बराबर लाभ मिला हैं। इस समाज की महिलाओं की स्थिति भी अच्छी नहीं हैं। किसी भी समाज के स्तर का आंकलन उस समाज की महिलाओं की स्थिति से किया जा सकता हैं।

जनजाति की परिभाषा

इस जनजाति शब्द को परिभाषित करने में मानवशास्त्रियों व समाजशास्त्रियों में काफी मतभेद पाया जाता हैं। मानवशास्त्रियों ने जनजातियों को परिभाषित करने में मुख्य आधारदृतत्व माना हैं संस्कृति को, परन्तु कभी जाति को। कभी ऐसा देखने में मिलता हैं कि किसी एक क्षेत्र में यधपि विविध जनजातियां रहती हैं, फिर भी उनकी संस्कृति में एकरूपता दृष्टिगत होती हैं। अतः जनजातियों को परिभाषित करने में केवल संस्कृति को ही आधार दृतत्व मानना एकांकीपन कहा जायेगा। इसके लिए हमें संस्कृति के अतिरिक्त भौगोलिक, भाषिक तथा राजनैतिक अवस्थाओं को भी ध्यान में रखना आवश्यक होगा। विभिन्न विद्वानों ने जनजाति शब्द के पर्याय के रूप में इन्हें आदिम जाति, वन्य दृजाति, आदिवासी, वनवासी, अशिक्षित, निरक्षर, प्रागैतिहासिक, असभ्य जाति आदि नाम दिया हैं। परन्तु इन्हें असभ्य, निरक्षर या अशिक्षित आदि कहना आज पूर्णतया अनुचित और अव्यवहारिक हैं। इन्हें धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक सुविधाएं दिलाने के लिए इनका उल्लेख भारत के संविधान की पाँचवीं अनुसूची में किया गया है।

भारतीय मानवशास्त्री मजूमदार (1974) ने जनजाति कि व्याख्या करते हुए कहा है कि "एक जनजाति परिवारों या परिवार समूहों का संकलन होता हैं। जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसके सदस्य एक निश्चित भू-भाग में निवास करते हैं, एक ही भाषा बोलते हैं विवाह, उद्योग-धंधों में निश्चित निषेधात्मक नियमों का पालन करते हैं। और पारस्परिक कर्तव्यों की एक सुविकसित व्यवस्था को मानते हैं।"
गिलीन व गिलीन (1949), जनजाति को परिभाषित करते हुए लिखते हैं- "स्थानीय आदिम समूहों के किसी भी संग्रह को जोकि एक सामान्य क्षेत्र में रहता हो, एक सामान्य भाषा बोलता हो और एक सामान्य संस्कृति का अनुसरण करता हो, उसे एक जनजाति कहते हैं।"

डा. रिवर्स (2013) के मतानुसार, "जनजाति एक ऐसा सरल प्रकार का सामाजिक समूह है जिसके सदस्य एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं तथा युद्ध आदि सामान्य उद्देश्यों के लिए सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं।"

हाबल (1954) का कथन हैं कि एक सामाजिक समूह हैं जो विशेष भाषा बोलता हैं तथा एक विशेष संस्कृति रखता हैं जो उन्हें दूसरे जनजातीय समूहों से पृथक करती हैं। यह अनिवार्य रूप से राजनैतिक संगठन नहीं हैं।
चार्ल्स विनिक ने जनजाति को परिभाषा करते हुए लिखा हैं, "एक जनजाति में क्षेत्र, भाषा, सांस्कृतिक समरूपता तथा एक सूत्र में बांधने वाला सामाजिक संगठन आता हैं। यह सामाजिक उपसमूहों जैसे गोत्रों या गांवों को सम्मिलित कर सकता हैं।"

विमुक्त जाति की परिभाषा

'विमुक्त' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया हैं। शाब्दिक आधार पर इसका अर्थ हैं 'स्वतंत्र' । जाति शब्द अंग्रेजी भाषा के कास्ट 'बेंजम' का हिन्दी अनुवाद हैं। अंग्रेजी के बेंजम शब्द की व्युत्पत्ति पुर्तगाली भाषा के 'बेंज' शब्द से हुई हैं जिसका अर्थ मत, विभेद तथा जाति से लिया जाता हैं।

मजूमदार एवं मदान (2010) के अनुसार, जाति "एक बन्द वर्ग हैं"।

कुले (1909) के शब्दों में "जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित हो, तो हम उसे जाति कहते हैं"।

इन दोनों परिभाषाओं में इस बात पर ज़ोर दिया गया हैं कि जाति कि सदस्यता जन्म पर आधारित होती है। कोई भी व्यक्ति अपने गुणों, संपत्ति एवं शिक्षा में वृद्धि करके या व्यवसाय परिवर्तन करके जाति नहीं बदल सकता। व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है जीवनपर्यंत उसी का सदस्य बना रहता है।

घुमंतू जाति की परिभाषा

जनजातियों की सबसे सरल प्रकृति का संगठन खानाबदोशी जत्था या घुमंतू जाति है। इसके सदस्यों की संख्या कम होती है और इसके सदस्य भोजन प्राप्ति के लिए छोटी-छोटी टोलियों में जीवन व्यतीत करते हैं, किन्तु ये एक निश्चित भू-भाग में ही घूमते हैं इन लोगों का कोई स्थायी निवास नहीं होता है। फल-फूल, भोजन, शिकार एवं चारे की तलाश में ये लोग स्थान परिवर्तन करते रहते हैं। अपनी आवश्यकता की वस्तुएं जैसे ओढ़ने, बिछाने व पहनने के कपड़े, हथियार एवं बर्तन, आदि भी अपने साथ ही लिए फिरते हैं। जहां भी भोजन, आदि की सुविधा होती हैं, ये वही ठहर जाते हैं और ज्यों ही वहां असुविधा होने लगती हैं, ये अन्य स्थान पर चल देते हैं। इन जत्थों को कई बार प्राकृतिक संकटों एवं प्रकोपों का सामना करना पड़ता है। सामान्य जीवन व्यतीत करने के कारण एक जत्थे के सदस्यों में दृढ़ सामुदायिक भावना, सहयोग एवं आत्मीयता पायी जाती है।

थियोडोरसन एवं थियोडोरसन (1979) के अनुसार यह एक ऐसे भौगोलिक समुदाय के रूप में मानते हैं जो जनजातियों की तुलना में छोटा होता है। यह समुदाय का एक प्रारम्भिक रूप हैं जो घुमक्कड़ या अर्द्ध- घुमक्कड़ लोगों में पाया जाता है। इसका आकार चरागाह, भूमि, शिकार एवं भोजन, आदि की उपलब्धि पर निर्भर करता है। इसका सामाजिक संगठन सरल प्रकार का और सामाजिक नियन्त्रण अनौपचारिक होता है।

फेयरचाइल्ड (1964) का कथन है कि खानाबदोशी जत्था, "एक स्थानीय समूह अथवा मिले दृजुले ऐसे परिवारों का समुदाय है जो साथ-साथ रहते हैं और घुमक्कड़ अथवा अर्ध दृघुमक्कड़ परिस्थितियों में भी आमने-सामने के प्रत्यक्ष सम्बन्धो को बनाए रखते हैं।"

ऐतिहासिक परिपेक्ष्य

ऐतिहासिक अध्ययन से पता चलता हैं कि विमुक्त जाति शब्द आजादी से पहले किसी आधिकारिक लेख में नहीं मिलता, विमुक्त व घुमंतू दोनों जातियाँ, जनजातियां ही थीं। घुमंतू जातियां प्रारम्भ में जंगलों में रहती थीं लेकिन समय के साथ साथ सम्मतल क्षेत्रों में प्लायन कर गयीं। इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि इन जातियों के लोग बहुत वीर व अनेक प्रतिभाओं वाले थे। ये लोग उस समय के राजाओ की सेना में गुप्तचर व सेना के सहायक के रूप में कार्य करते थे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते- घूमते ये अलग-अलग बोलियां सीख गए थे व विभिन्न प्रतिभाओं वाले बन गए थे। घुमंतू होने के कारण इन्हें हर रियासत के सुरक्षित व साफ रास्तों का भी ज्ञान होता था। इनके ये सभी गुण इन्हें सेना के लिए बहुत सहायक सिद्ध करते थे।

वर्तमान हरियाणा प्रदेश पहले पंजाब का ही एक हिस्सा होता था उस समय पंजाब पश्चिम दिशा में अफगानिस्तान की सीमा तथा उत्तर दिशा में जम्मू और कश्मीर की सीमा तक फैला हुआ था, वहीं पूर्व दिशा में वर्तमान उत्तराखण्ड की सीमा तक तथा दक्षिण दिशा में दिल्ली व राजस्थान की सीमा से लगता था। इस व्यापक क्षेत्र के लोग अत्यंत विविध जनसांख्यिक विशेषताओं से भरपूर थे जिसमें भारत के सभी प्रमुख धर्म, विभिन्न समुदायों, जातियों व जनजातियों के लोग रहते थे। इतिहास इस तथ्य का साक्षी हैं कि संयुक्त पंजाब, विदेशियों के लिए भारत का प्रवेश द्वार था, अनेक विदेशी आक्रमणकारी इस रास्ते से भारत आए कुछ लोग इस क्षेत्र में ही बस गए व कुछ लोग वापिस लोट गए जिस कारण इस प्रांत के लोग भिन्न-भिन्न संस्कृति के लोगों के संपर्क में आए। भारत के पूरे इतिहास में, यूरोप से लेकर मध्य एशिया तक के बहुत से आक्रमणकारी आए और यहाँ की सभ्यता को अस्तव्यस्त किए बिना ही यहाँ बस गए। उन्होंने भारतीयों को व भारतीयों ने उनको काफी प्रभावित किया, जिससे की मिश्रित सभ्यताओं, धर्मों और मूल्यों का उदगम हुआ। लेकिन ब्रिटिश आक्रमणकारी पहले के सभी आक्रमणकारियों से भिन्न थे। क्योंकि पहले के सभी आक्रमणकारी या तो भारत को लूटने के बाद वापिस चले गए या उन्होंनें इसी क्षेत्र को अपना घर बना लिया जैसे कि मुगल शासक। ब्रिटिश शासक भारत पर शासन कर, लूट का माल निरन्तर अपने घर भेजना चाहते थे। उनके इरादे बिल्कुल अलग थे। ब्रिटिश शासक भारत के लोगों से कुलवंश में तो भिन्न थे ही साथ ही वे सांस्कृतिक विचार से भी भारतीयों से घृणा करते थे। ये लोग भारत को लूट, अपने राष्ट्र को लाभ पहुंचाने के इरादे से आए थे जिस कारण उन्होंने हमारी संस्कृति, रीति-रिवाजों, सामाजिक मूल्यों, सामाजिक व धार्मिक प्रथाओं को धूल में मिलाने की हर संभव कोशिश की। इस संदर्भ में मकालेय का हमारी सभ्यता पर यह कथन कि "इस देश का सारा ज्ञान अंग्रेज़ो के पुस्तकालय की अलमारी के दो खाने के बराबर हैं।" व्यर्थ नहीं था। वो चाहते थे कि भारतीय

लोग उनके तोर-तरीके सीखे तथा आधुनिक कहलाए। बहुत से लोगों ने जहां उनके तौर-तरीके सीखे तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों ने उनका विरोध भी किया।

ब्रिटिश सरकार ने भारत में शासन को सुचारु रूप से चलाने के लिए बहुत सी परियोजनाएं चलाई। इन में से एक प्रभावी योजना थी- भारतवासियों की जनगणना करना, जिसमें उन्होंने भारतवासियों का पूरा ब्योरा तैयार किया। ब्रिटिश प्रशासक न ही तो भारत की अनेकता में एकता वाली संस्कृति को समझ पाए और न ही भारत के संदर्भ में घुमंतूवाद (Nomadism) को समझ पाए। उस समय, खानाबदोशी भारत व दूसरे देशों में बहुत से लोगों व समुदायों के जीवन जीने का तरीका होता था। यह कहना भी गलत नहीं होगा कि भारत में यह केवल व्यवसाय या जीवन जीने का तरीका ही नहीं था परंतु एक जीवन धारणा थी। घुमतु समुदाय के लोग एक स्थान पर रहने व एक व्यवसाय करने से ज्यादा प्रकृति की विभिन्नताओं का आनंद लेने में अधिक विश्वास करते थे। आयुर्वेद में भी लिखा हैं कि जब व्यक्ति स्थान पर रहने लगते हैं तो भयंकर बिमारियाँ व महामारियाँ फैलती हैं। अंग्रेजी सरकार इन्हें न केवल असभ्य व असंस्कृत समझती थी, बल्कि इनको कानून व्यवस्था के लिए भी एक खतरा मानती थी। क्योंकि ये सब बहुत गरीब थे और इनके पास आय का कोई स्थायी साधन भी नहीं था इसलिए इनको चोर व ठग माना जाता था। डेविड अर्नोल्ड के अनुसार, अपराधिक जनजातियां अधिनियम (Criminal Tribesa Act) का उपयोग एक घुमंतू समुदायों, खानाबदोशी छोटे व्यापारियों और पशुचारकों व जंगलों में रहने वाली जनजाति के विरुद्ध किया। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि उन सभी लोगों के विरुद्ध इस अधिनियम का उपयोग किया गया था जो अंग्रेज़ो के अनुसार व्यवसाय नहीं कर रहें थे या रह नहीं रहे थे । उस समय कप्तान स्लीमन और अन्य के द्वारा ठगी व डकैती को रोकने के लिए दिये गए सुझाव में भी यही कहा गया कि इस प्रकार के लोग जिनके पास न तो स्थायी घर हैं न ही स्थायी व्यवसाय, समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा हैं। इससे ही अपराधशील जनजातियां अधिनियन, 1871 को अभिनीत किया गया। उस समय पंजाब में मुख्यतः बौरिया, बाजीगर, बराड़, बंगाला, गंधीला, नट और साँसी व इनके अन्य छोटे समूहों को अपराधी घोषित कर दिया गया था। इन सब घुमंतू समुदायों पर दबाव डाला गया कि ये सब सरकारी जमीन जो कि गाँव व कस्बों की परिधि पर थी उस के उपर बस जाएं। इनको पहचान पत्र भी दिये गए जो कि इनको कहीं आने जाने के समय साथ रखना अनिवार्य था, ऐसा न करने पर इन्हें मैजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गिरफ्तार किया जा सकता था। इन लोगों को गाँव के लंबड़दार (नंबरदार), पहरेदार या फिर पुलिस चोंकी में प्रतिदिन तीन बार हाजरी लगानी होती थी। ये अपने स्थान से किसी दूसरे स्थान पर, अपनी यात्रा का पूरा ब्योरा पुलिस को देने के बाद ही जा सकते थे।

इस अधिनियम में 1911 में बदलाव लाए गए थे जिससे यह और भी सख्त व बर्बरता पूर्ण हो गया था। आनन्द ए. यांग के मतानुसार, “अँग्रेजी सरकार का इस प्रकार का अपराधिक जनजातिय वगह्रकरण दुर्भाग्य पूर्ण था इससे समस्या के समाधान के स्थान पर नुकसान अधिक हुआ। जैसे कि बंजारा जाति को बिना उनके इतिहास को जाने ही अपराधिक समुदाय घोषित कर दिया। लेकिन शोध से पता चलता हैं कि इस जाति के लोग अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त नहीं थे।” अपराधशील जनजातीय अधिनियम आजादी के बाद भी लागू रहा। लेकिन 31 अगस्त 1952 को इन जनजातियों को भी स्वतन्त्रता प्राप्त हो गयी और अपराधी होने का धब्बा भारत के सभी अपराधी कबीलों से हट गया। अब इनको विमुक्त जाति कहाँ जाने लगा, यह एक विडम्बना हैं कि ये लोग 31 अगस्त को ही अपना आजादी दिवस मानते हैं न कि 15 अगस्त को। उसी दिन से ये लोग अपने को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित करने व एक अलग दर्जा देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। यह मुद्दा तब ओर भी गम्भीर बन गया जब एक ही जाति के लोग एक राज्य में अनुसूचित जनजाति व दूसरे राज्य में अनुसूचित जाति में शामिल कर दिये गए।

अवसरवाद की राजनीति व आधिकारिक जल्दबाज़ी ने आजाद भारत में भी जनजाति को परिभाषित करने व पहचानने के विषय को और भी ज्यादा उलझा दिया जिसके चलते सरकार ने इन जातियों को अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति की श्रेणी में डाल दिया। जनजातिय मंत्रालय के 2003-2004 की वार्षिक सूचना के अनुसार हरियाणा में कोई भी जनजातिय आबादी (Tribal Population) नहीं हैं। लेकिन ये जातियां अपने को अनुसूचित जाति में वगह्रकरण करने पर सहमत नहीं हैं। क्योंकि इन लोगों का विश्वास हैं कि ये क्षत्रिय राजपूतों के वंशज है।

वर्तमान स्थिति

हरियाणा में 26 ऐसी जातियां हैं जो विमुक्त, घुमंतू और टपरीवास की, श्रेणी में आती हैं और इनकी जनसंख्या लगभग 18 लाख से अधिक है। हरियाणा सरकार ने बंगाली, बरार, बौरिया, नट, गंधीला, सांसी, तुग्स, महातम, ऋढवारा, मिनास, भोड़ा ब्राह्मण इन सब जातियों को विमुक्त जाति घोषित किया हैं तथा बाजीगर, मीरासी, सिकलीगर, सपेरा, पेरना, ग्वाइरा, बंजारा, शेरगीर, हेरी, नायक, कंजर, डेह, मल्लाह,

गाढ़ीलोहार जातियों को टपरिवास घोषित किया हैं तथा इन जातियों में से बंगाली, बौरिया, बाजीगर, डुमना, गागरा, गंधीला, नट, ओड़, पेरना, सांसी, डेहा, गोरिया, बंजारा, शोरगीर, हांसी, कंजर, सपेला, सिकलीगर, सिरकीबन्द जातियों को शिक्षा के दृष्टिकोण से घुमंतू जातियां घोषित किया गया हैं। इनमें से बहुत सी जातियाँ पिछड़ी जाति की श्रेणी में व अन्य को अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखा गया लेकिन ये लोग अपने को अनुसूचित जाति में रखने को लेकर खुश नहीं हैं तथा समय समय पर खुद को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखने के लिए सरकार से मांग करते रहें हैं। हाल ही में सन 2015 में विमुक्त व घुमंतू जाति के लोगों ने पानीपत में सम्मेलन कर माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा को अपने को अनुसूचित जनजाति घोषित करने की मांग की थी।

इन जातियों के लोग आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं बहुत सी जातियों के अपने परंपरागत स्व-रोजगार आज के आधुनिक युग में या तो बंद हो गए या फिर उन से परिवार का गुजारा चलाना काफी मुश्किल हो गया हैं जिस कारण इनके परंपरागत रोजगार छूट गए। इनमें से ज़्यादातर जातियां सामाजिक तौर पर बहुत पिछड़ी हुई हैं इसका मुख्य कारण शिक्षा का अभाव व एक स्थान पर न रहना हैं। जो जातियां एक स्थान पर रहने भी लग गयी हैं उनके पास भी शहरों में अपने घर व गांवो में अपने गुजारे के लिए जमीन नहीं हैं।

इन जातियों की महिलाओं की स्थिति भी कोई ज्यादा अच्छी नहीं हैं, इनकी शैक्षणिक व सामाजिक स्थिति बहुत खराब हैं। इन ज़्यादातर जातियों के लोग लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं रखते, जिस कारण आज भी इनकी लड़कियां शिक्षा का पूर्ण लाभ लेने से वंचित हैं। ये सभी जातियां पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था की पालक हैं जिस कारण महिलाओं के जीवन से संबन्धित फैसले भी पुरुषों द्वारा लिए जाते हैं। इनकी महिलाएं घर संभालती हैं और मजदूरी आदि भी करती हैं। सड़क व गली बनाने में जो मजदूर काम करते हैं वो सभी इन्ही जातियों के लोग होते हैं जिसमें पुरुषो के साथ महिलाएं भी काम करती हैं।

विमुक्त व घुमंतू जातियों के लिए हरियाणा सरकार व केंद्र सरकार की योजनाएं

अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग ने हरियाणा बनने के पश्चात इन जातियों की भलाई के लिए बहुत काम किए हैं जो की इस विभाग के द्वारा चलाई गई योजनाओं से स्पष्ट हैं विभाग का उद्देश्य यही रहा हैं कि इन जातियों का सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक विकास हो सके और ये सब भी दूसरी जातियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। सरकारी योजनाओं जैसे कि छात्रवृति देना, प्रशिक्षण प्रदान करना, मुख्यमंत्री विवाह शगुन, डा. अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना आदि को पूर्ण रूप से लागू किया गया हैं महिलाओ कि स्थिति को सुधारने के लिए राज्य के विभिन्न गांवो में 87 महिला कल्याण केंद्र चलाए गए हैं। इस विभाग व केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं का विस्तृत वर्णन इस प्रकार हैं-

राज्य सरकार की योजनाएँ

1. अनुसूचित जातियों के लिए मकान अनुदान योज़ना।
2. मुख्यमंत्री विवाह शगुन योज़ना।
3. मुख्यमंत्री सामाजिक अंतर्जातीय समरसता योजना।
4. अनुसूचित व विमुक्त जाति के लोगों को कानूनी सहायता योज़ना।
5. आइ.ए.एस. तथा उच्च सेवाओ की प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी हेतु कोचिंग के लिए अनुसूचित जाति व पिछडे वर्ग के उम्मीदवारों को प्राइवेट प्रसिद्ध संस्थाओ से प्रशिक्षण व कोऋचग योज़ना।
6. जी /नीट (JEE@NEET) की तैयारी कर रहे अनुसूचित व पिछड़ी जाति के विद्यार्थियो के लिए मुफ्त कोऋचग की योज़ना।
7. डा. अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना।
8. टपरीवास व विमुक्त जातियों के लिए मकान निर्माण योज़ना।
9. अनुसूचित जाति के 6-8 कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए छात्रवृति की योज़ना।
10. अनुसूचित जाति के 6-12 कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों को किताबें व स्टेशनरी प्रदान करना।
11. अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति की विधवाओ / निराश्रित महिलाओं व गरीब लड़कियों को सिलाई प्रशिक्षण योजना।
12. अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति के विद्यार्थियो के लिए छात्रावास की योजना।
13. अत्याचार से पीड़ित को धन दुराशी उपलब्ध कराना।
14. अनुसूचित व पिछड़ी जाति से संबन्धित संस्थाओ को वितीय सहायता प्रदान करने की योज़ना।

केंद्र प्रायोजित योजनाएं

1. अनुसूचित जाति के छात्र व छात्राओं के लिए छात्रावास स्थापित करने की योज़ना।
2. पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों में अनुसूचित जाति के बच्चों को टाईप व सॉर्टहैंड का प्रशिक्षण देने की योज़ना।
3. भारत सरकार की 'पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप योज़ना', अनुसूचित जाति के छात्र व छात्राओं के लिए।
4. 'पी. सी. आर. एक्ट, 1955 'तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के परिपालन हेतु मशीनरी के अंतर्गत स्कीमें।
   क. कानूनी सहायता स्कीम ।
   ख. अन्तर्जातीय विवाह योज़ना।
   ग. अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति को वितिय सहायता योज़ना।

विमुक्त व घुमंतू जातियों के लिए प्रायोजित योजनाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण

सरकार ने विमुक्त व घुमंतू जातियों को अनुसूचित व पिछड़ी जाति की श्रेणी में डाल कर इन्हें हर उस योजना का लाभ पहुंचाने की कोशिश की हैं जो कि अनुसूचित व पिछड़ी जाति के लिए बनाई गई हैं। जिनका जिक्र लेख में उपर किया जा चुका हैं। कुछ योजनाओं में विशेष रूप से विमुक्त व घुमंतू जातियों का नाम आया हैं। सभी योज़नाए उत्पीड़ित व पिछड़े समाज के उत्थान के लिए बनाई गई हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि अगर ये सब योज़नाएं अच्छी प्रकार से लागू होती तो इन सबका इस समाज पर अच्छा प्रभाव पड़ता। जिसके परिणाम स्वरूप इनका आर्थिक, सामाजिक व शैक्षिक विकास, इन योज़नाओं के अनुरूप हो पाता। योज़नाओं के ठीक प्रकार से लागू न होने के अनेक कारण हैं जिसमें मुख्यतः शिक्षा का अभाव, प्रचार- प्रसार की कमी, सरकारी तंत्र में भ्रष्याथ्र्याचार, योज़ना लागू करने वाले विभागो में परस्पर ताल-मेल का अभाव इत्यादि हैं।

अशिक्षित होने के कारण इन लोगों को योजनाओं को समझने व इनका लाभ लेने में असमर्थता रही हैं। इन योजनाओं का प्रचार व प्रसार कम होने के कारण इनके बारे में लोगों को पता ही नहीं चलता जिस कारण योज़नाओं को ठीक प्रकार से क्रियान्वित भी नहीं किया जा सका। भ्रष्याचार ने जहां देश की लगभग सभी संस्थाओ को प्रभावित किया तो सरकार का समाज कल्याण विभाग कोई अपवाद नहीं हैं सरकारी अधिकारियों की बद-नियति के कारण ये सभी योजनाए कागजों में तो खूब फलती-फूलती रही लेकिन वास्तव में इन्हें आधार नहीं मिल पाया। इन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू न कर पाने में भ्रष्याचार से भी कहीं ज्यादा भूमिका सरकारी विभागों में परस्पर ताल-मेल के अभाव की रही। जैसे कि छात्रवृति के लिए राशि का भुगतान वित विभाग ने करना हैं और निपटान कार्य शिक्षा विभाग ने । विभागों की इस आपसी निर्भरता के कारण अधिकारिओं की जवाबदेही सुनिश्चित करना भी एक जटिल समस्या हैं। इन सब समस्याओं के कारण, ये योजनाएं जिस उद्देश्य से क्रियान्वित की गई थी उस मुकाम को हासिल नहीं कर पायी।

निष्कर्ष

भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या 84,326,240 हैं जो की भारत की कुल आबादी का 8.20 है इन जनजातियों के लोग बहुत गरीब है, इमने शिक्षा का अभाव है जिस कारण ये अपने आप को बहुत ज्यादा उत्पीड़ित समझते हैं। इन जातियों की महिलाओं की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है, इनकी शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक स्थिति बहुत खराब हैं। इन ज़्यादातर जातियों के लोग लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं रखते, जिस कारण आज भी इनकी लड़कियां शिक्षा का पूर्ण लाभ लेने से वंचित हैं। सरकार ने बहुत सी योजनाओं को लागू किया लेकिन कोई भी योजना उस स्तर पर काम न कर सकी जैसा सरकार ने सोचा था। इनकी स्थिति को सुधारने के लिए इनका सहयोग आवश्यक है जो कि ये तभी दे सकते हैं जब ये शिक्षित होंगे तथा इनकी सोच व मानसिकता इन योजनाओं का लाभ लेने की होगी। इन जातियों के संदर्भ में डा. अम्बेडकर का अधीनस्थ समूह परिप्रेक्ष्य अध्ययन आज भी उतना ही सार्थक हैं जितना की उस समय था।

संदर्भ :

1. http%@@censusindia-gov-in@Census&Data&2001@India&at&glance @scst-asp, पुनः प्राप्त किया, दिनांक 30-07-2018.

2. मजूमदार, डी. न., रेसेस एण्ड कल्चर आफ इंडिया, एशिया पब्लिशिंग हाउस, पृ. 167.
3. गिल्लीन एण्ड गिल्लीन, कल्चरल सोशियोलॉजी, पृ. 282
4. रिवेर्स, डब्लू. एच. आर., सोश्ल ऑर्गनाइज़ेशन (2013), पृ. 156
5. होएबेल, अड्म्सोन इ., द लॉ आफ प्रीमिटिव मैन, (1954), हार्वर्ड मैसाच्युसेट्सः अथेनेउम
6. प्रो. गुप्ता एम. एल. एण्ड डा. शर्मा, डी.डी., सोशियोलॉजी (2012), साहित्यभवन, पृ० 421.
7. मजूमदार, डी. एन एण्ड मदान, टी.एन., अन इंटरोडक्टसन टु सोशल एंथ्रोपोलोजी (2010), पपरेबैक, पृ. 221
8. चार्ल्स होरटोन कूले, सोशल आर्गनाइज़ेशनः ए स्टडि आफ द लार्जर माइंड (1909), न्यू आर्क : चार्ल्स स्क्रिबेनर' सन्स
9. जॉर्ज ए. थेओड़ोर्मोन एण्ड अचिललेस जी. थेओड़ोर्मोन, ए मॉडर्न डिक्शनरी आफ सोशियोलॉजी, पृ. 26
10. एच. पी. फेएरचाईल्ड, डिक्शनरी आफ सोशियोलॉजी, पृ. 20
11. निरंझन रॉय, नैसनालिज़्म इन इंडिया (1972), पृ. 18
12. प्रो. सिंह, विरिन्दर पाल, क्रिमिनल ट्राइब आफ पंजाब ए सोसीओ एंथ्रोपोलोजीकल इंकुयरी, रौतलेडगे लंदन न्यूयार्क न्यू दिल्ली, पृ. iv
13. उक्त
14. उक्त पृ. 28
15. https%@@www-bhaskarcom@harayana@panipat@news@HAR&PAN&HMU& MAT&latest&panipat& news & 035505 & 3223093 &NOR-html पुनः प्राप्त किया, दिनांक 11.08.2018
16. www-scbchry]gov-in@welfare&shemes@state&schem में पुनः प्राप्त किया, दिनांक 11.08.2018